न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

पुनरीक्षण याचिका संख्या– 65/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/168

पूनरीक्षणकर्ता — **बनाम** — **रेस्पोडेन्ट**

पूनरीक्षणकर्ता

भागुराम पुत्र बोदुराम जाति मेघवाल निवासी विजयपुरा तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. तहसीलदार मकराना
2. हल्का पटवारी सुथली पटवार हल्का कुकडौद
3. गिरधारी पुत्र लिछमणराम
4. जयराम पुत्र लिछमणराम
5. रामचन्द्र पुत्र लिछमणराम
6. जीवणी पत्नी लिछमणराम
7. लालीदेवी लिछमणराम
8. पूसाराम दत्तक पुत्र नारायणराम
9. सुनिता देवी पुत्री नारायणराम
10. सोहनी पुत्री नारायणराम
11. नन्दु देवी पुत्री नारायणराम

   रेस्पोडेन्ट सं0 03 ता 11 समस्त जाति माली निवासी सुथली तहसील मकराना
12. खेमाराम पुत्र बोदुराम
13. चेनाराम पुत्र बोदुराम
14. मानाराम पुत्र बोदुराम

   रेस्पोडेन्ट संख्या 12 ता 14 समस्त जाति मेघवाल निवासी विजयपुरा तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन

<u>अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1956 अपील विरूद्ध बंटवारा न्यायालय तहसीलदार मकराना दिनांक 08.10.2021 व नामान्तरकरण संख्या 861 दिनांक 17.11.2021 तहसील मकराना</u>

उपस्थितः–
प्रार्थी भागुराम स्वयं

निर्णय

दिनांकः **19.03.2024**

अपील के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ग्राम सुथली के खसरा सं0 55 व 55/1 का रेस्पोडेन्ट सं0 03 से 14 [illegible] साथ [illegible] खातेदार है। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा खसरा सं0 55 व 55/1 का सहम[illegible] राजस्व कैम्प दिनांक 08.10.2021 को बंटवारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के समक्ष करने हेतु उपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.04.05 11:11:05 IST
Reason: SelfAttested

19/3/24
जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

हुये परन्तु रेस्पोडेन्ट सं0 01 व 02 ने रेस्पोडेन्ट सं0 03 से 11 को नाजायज फायदा देने के लिए बंटवारा दिनांक 08.10.2021 किया जिसमें खसरा न0 55 के बीच में से रास्ता अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 12, 13, 14 की सहमति के बिना अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 12, 13, 14 से हस्ताक्षर करवाने के बाद पीछे से विधि विरूद्ध किया गया जिस पर अपीलार्थी की कभी सहमति नहीं रही। रेस्पोडेन्ट सं0 01 व 02 ने अपनी बदनियति को अपीलार्थी को थेपने की दृष्टि से खसरा सं0 55 के बीच में से उत्तर से दक्षित रास्ता सहायक कलक्टर मकराना से बाले–बाले ही बिना अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट को नोटिस दिये प्रकरण सं0 191/221 के जरिये राजस्व रेकर्ड में विधि के विपरित कानून का गलत उपयोग कर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना रेस्पोडेन्ट सं0 01 द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.10.2021 व नामान्तरकरण संख्या 861 दिनांक 17.11.2021 से व्यथित होकर अपीलार्थी निम्नलिखित आधारों पर अपील पेश कर रहा है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा बंटवारा दिनांक 08.10.2021 विधि रिकार्ड के विपरित पारित किया गया होने से अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट सं0 01व02 द्वारा बंटवारा दिनांक 08.10.2021 को सही ठहराने के उद्देश्य से अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये प्रकरण संख्या 191/2021 के जरिये दिनांक 20.10.2021 के जरिये अपीलार्थी के खेत 55 व 55/1 के नये नम्बर 257/55, 258/55, 259/55 कायम कर दिये। अपीलार्थी की खातेदारी में खसरा नं0 258/55 रकबा 0.1448 हैक्टयर गै0मु0 रास्ता विधि के विपरित अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना मौके की स्थिति के विपरित कायम कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने राजस्व कर्मचारियों से साठ–गांठ कर उक्त प्रकरण में कानूनी प्रावधानों एवं विधि का दुरूपयोग कर अपीलार्थी को नोटिस दिये बगैर सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट के हस्ताक्षर किये जाने के बाद बंटवारे में खसरा सं0 55 के बीच में से उत्तर से दक्षिण रासता कायम कर दिया जिसकी शिकायत भी अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 01 को दिनांक 11.10.2021 [illegible] खातेदारीशुदा खेत में मौके की स्थिति के विपरित [illegible] रेस्पोडेन्ट सं0 03 से 11 को नाजायज फायदा पहुंचाने की नियत से [illegible] को छुपाकर अपने क्षेत्राधिकार का गम्भीर उल्लघंन किया है इसलिए [illegible] नामान्तरकरण सं0 861

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.04.05 11:11:05 IST
Reason: SelfAttested

19/3/24
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

दिनांक 17.11.2021 की पालना में किया गया राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद काबिले निरस्तनीय है।

रेस्पोडेन्ट सं0 01 ने व्यक्तिगत रूचि लेते हुए अपीलार्थी की समझौता बाबत सहमति लिये बिना एवं मौजुा मौका स्थिति अपेक्षा कर रेस्पोडेन्ट सं0 03 से 11 को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए रेस्पोडेन्ट सं0 01 ने पद एवं विधिक स्थिति का दुरूपयोग कर ऑफिस में बैठकर अपीलार्थी की खातेदारी शुदा खेत खसरा सं0 55 के बीच में से उत्तर से दक्षिण मनमाने ढंग से रास्ता कायम कर दिया एवं उसे अमलीजामा पहनाने के लिए उपखण्ड अधिकारी से प्रकरण सं0 191 / 2021 में दिनांक 20.10.2021 आदेश पारित कराकर मनमाने ढंग से नामान्तरण सं0 861 दिनांक 17.11.2021 को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर दिया जो काबिले निरस्तनीय है।

अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम सुथली पटवार हल्का कुकडौद बंटवारा दिनांक 08.10.2021 एवं नामान्तकरण सं0 861 दिनांक 17.11.2021 को निरस्त फरमावें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से 14 बावजुद तामील के अनुपस्थित रहने के कारण आदेशिक दिनांक 28.11.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। आदेशिक दिनांक 21.06.2023 अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट सं0 13 व 14 के मध्य राजीनामा होने के कारण राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया।

अपीलार्थी भागुराम को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने धारा 53 के तहत सहमति से बंटवारा करवाया है। जिस पर प्रार्थी के सहमति के हस्ताक्षर भी है। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा सहमति बंटवारे से संबंधित कोई अपील नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा केवल नामान्तरकरण की अपील की गई है। प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि सहमति बंटवारे पर प्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं है। प्रार्थी को सहमति बंटवारे की अपील सक्षम न्यायालय में करनी थी। अतः प्रार्थी की अपील सारहीन व आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 19.03.2024 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.04.05 11:11:05 IST
Reason: SelfAttested

(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन